

२३^९/_{२५}

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। पत्रावली के अन्वयान के अनुसार तीन बार आवार्जें लगाई जाते के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम लजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नंबर से कम हो।



३
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बहाली